न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11 / 44 / 2021	2021 / 172	08.10.2021	23.07.2024

1.हूरादेवी पुत्री श्री बनेसिंह धर्म पत्नि श्री खुशीराम, जाति चमार, निवासी ग्राम तरवाला, तहसील किशनगढ़बास, जिला अलवर, राजस्थान।
2.सोना देवी पुत्री श्री बनेसिंह धर्म बेवा रामफल, जाति चमार, निवासी ग्राम तरवाला, तहसील किशनगढबास, जिला अलवर, राजस्थान।
3.इन्द्रा देवी पुत्री श्री बनेसिंह धर्म पत्नि श्री मंगतूराम, जाति चमार, निवासी ग्राम खोह, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला अलवर, राजस्थान।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1.कमला पत्नी श्रीचन्द, जाति चमार, निवासी ग्राम रघुनाथ बास, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर, राजस्थान।
2.राजेन्द्र पुत्र श्रीचन्द, उम्र 13 साल, जाति चमार, निवासी ग्राम रघुनाथ बास, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला अलवर राजस्थान।
3.राकेश पुत्र श्रीचन्द, उम्र 11 साल, जाति चमार, निवासी ग्राम रघुनाथ बास, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला अलवर।
4.रविन्द्र पुत्र श्रीचन्द, उम्र 09 साल, जाति चमार, निवासी ग्राम रघुनाथ बास, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला अलवर।
नाबालिगान रेस्पोडेन्ट संख्या 02 लगायत 04 जरिये सरपरस्त माता कमला पत्नि श्रीचन्द, जाति चमार, निवासी ग्राम रघुनाथ बास, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला अलवर, राजस्थान।
5.रजनी पुत्री श्रीचन्द पत्नि श्री प्रधान, जाति चमार, निवासी ग्राम पालका, तहसील नगर, जिला भरतपुर, राजस्थान।
6.दीपा पुत्री श्रीचन्द धर्म पत्नि श्री बिन्टू जाति चमार, निवासी ग्राम पालका, तहसील नगर, जिला भरतपुर, राजस्थान।
7.सुशीला पुत्री श्रीचंद पत्नी श्री फूल सिंह, जाति चमार, निवासी ग्राम पालका, तहसील नगर, जिला भरतपुर।
8.नायब तहसीलदार महोदय, लक्ष्मणगढ, जिला अलवर राजस्थान।

––रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 21.09.1974 व इन्तकाल नम्बर 140 ग्राम रघुनाथबास तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर जो इन्तकाल संख्या 92 दिनांक 21.09.1974 व इन्तकाल नम्बर 140 दिनांक 19.01.1983 निरस्त फरमाया जावे व अपीलान्ट का नाम विरासत बनेसिंह मृतक ना दर्ज फरमाया जावे व इन्तकाल अपीलान्ट के नाम दर्ज फरमाया जावे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

उपस्थितः–

01.श्री नरेश चौधरी –वकील अपीलाण्ट्स

–:: निर्णय ::–

अपीलान्ट ने यह अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 21.09.1974 व इन्तकाल नम्बर 140 ग्राम रघुनाथबास तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर जो इन्तकाल संख्या 92 दिनांक 21.09.1974 व इन्तकाल नम्बर 140 दिनांक 19.01.1983 से व्यथित होकर पेश की है। अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं कि अपील इन्तकाल नम्बर 140 दिनांक 19.01.1983 इन्तकाल नम्बर 92 दिनांक 21.09.1974 की जानकारी अपीलान्ट को माह फरवरी 2016 दिनांक 15.02.2016 को पता लगी, तो रस्पोडेन्ट से मालूम किया कि विरासत इन्तकाल बनेसिंह व किशनलाल में अपीलान्ट का नाम दर्ज नहीं किया गया है जिसकी नकल दिनांक 16.02.2016 को नकल का प्रार्थना पत्र देने पर नकल मिलने पर पता लगा है जिससे इन्तकाल की अपील पेश है।

साबिक खसरा नम्बर 147 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, 148 रकबा 17 बिस्वा, 149 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 03 रकबा 5 बीघा । बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 147 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा 148 रकबा 17 बिस्वा व 149 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा जिसके कुल 3 किता रकबा 5 बीघा । बिस्वा है वो जमीन ग्राम रघुनाथ बास, तहसील लक्ष्मणगढ़ में स्थित है। अपील दफा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ में जानकारी तारीख 15.02.2016 से नकल दिनांक 16.02.2016 से मिलने से अपील अन्दर अवधि पेश है। सजरा निम्न प्रकार हैः–

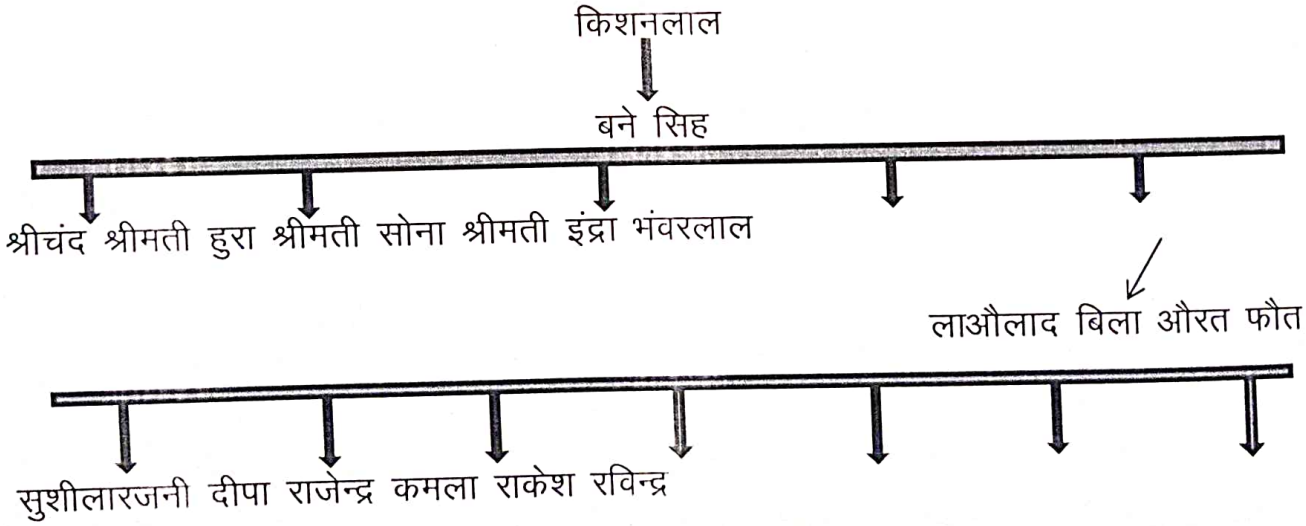

इन्तकाल दर्ज करते समय अपीलान्ट को ना तो सूचना दी गई व ना ही नोटिस जारी किये गये तथ्यों को छुपाकर बमिल्लत साजिश करके बनेसिंह का जो इन्तकाल दर्ज किया गया है उसमें सिर्फ श्रीचन्द व भंवरलाल को दर्जकिया गया है जबकि अपीलान्ट बनेसिंह

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

के जायज वारिस है जो कि उसकी सम्पत्ति में हक पाने के अधिकारी है। अपीलान्ट को यह धोके में रखा गया कि उनका नाम दर्ज कर दिया गया है। अपीलान्ट गांव में आती रही और अपनी काश्तकारी को भी सम्भालती रही लेकिन चूकि बिना पढ़ी लिखी महिला होने के कारण कागजात में नहीं समझती थी और अपने भाई श्रीचन्द व भंवरलाल पर विश्वास करती रही चूकि वह अपीलान्ट का हिस्सा लगातार दे रहे थे। लेकिन माह फरवरी 2016 में उन्होने श्रीचन्द का स्वर्गवास होने के बाद में अपीलान्ट गांव आई तो जानकारी ली तो रेस्पोडेन्ट ने खुलेआम इन्कार कर दिया और जब नकल मिलने पर जानकारी मिली तो रेस्पोडेन्ट व श्रीचन्द भवंरलाल की बेईमानियों का पता लगा जिससे अपील दायर करना लाजिम आया है। चूंकि अपीलान्ट श्रीचन्द व भंवरलाल की बहिन है व बनेसिंह की पुत्री बतौर वारिस है जो हक प्राप्त करने की अधिकारी है। यह कानूनी रूप से अपीलान्ट को जमीन में से हिस्सा पाने की अधिकारिणी है और जब अपीलान्ट को पता चला है कि तो अपील पेश है कागजात जमाबन्दी व इन्तकाल में दर्ज कराने की अधिकारिणी है। अपीलान्ट के हकूक प्रभावित होते है इसलिए अपील दायर करना आवश्यक है और इन्तकाल निरस्त किया जाना भी आवश्यक है। इन्तकाल में अपीलान्ट को नोटिस नहीं दिया गया है व ना ही सूचना दी गई है। अपीलान्ट के नेचूरल राईट का भी हनन हुआ है। अन्य दीगर ऐतराजात वक्त बहस मौखिक अर्ज किये जावेगें।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे व इन्तकाल नम्बर 92 ग्राम रघुनाथ बास तहसील लक्ष्मणगढ व इन्तकाल नम्बर 140 ग्राम रघुनाथ बास तहसील लक्ष्मणगढ बाबत आराजी खसरा नम्बर 147 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, 148 रकबा 17 बिस्वा, 149 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बरान 147 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, 148 रकबा 17 बिस्वा, 149 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा में अपीलान्ट का नाम दर्ज फरमाया जावे और इन्तकाल दर्ज फरमाया जावे व अधिनस्थ न्यायालय के आदेश इन्तकाल नम्बर 140 व 92 आदेश दिनांक 21.09.1974 नायब तहसीलदार लक्ष्मणगढ निरस्त फरमाया जावे। अपीलान्ट के नाम इन्तकाल दर्ज फरमाये जाने की आज्ञा फरमाई जावे व इन्तकाल नम्बर 140 अपास्त फरमाया जावे। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। रैस्पोडैन्ट्स द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर विचार किया। अपील में तथ्य निहित होने से एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

वकील अपीलान्ट की विस्तृत बहस सुनी गई।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात का अध्ययन व अवलोकन किया। वकील अपीलान्ट की बहस पर चिन्तन–मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का मिलान किया गया। मुख्य तथ्य यह आया की किशनलाल की विरासत एवं बनेसिंह की विरासत में विधिक त्रुटि हुई है। वारिसों को विरासत में वंचित रखा गया है। कानूनन उनको विरासत में शामिल करना चाहिये था। नामांतरण जारी करने में विधिक त्रुटि हुई है। अपील में विरासत का तथ्य निहित है। अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार लक्ष्मणगढ द्वारा स्वीकार इंतकाल संख्या 92 दिनांक 21.09.1974 एवं 140 निर्णय दिनांक 19.01.1983 को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार लक्ष्मणगढ को पत्रावली इस आशय के साथ प्रति प्रेषित की जाती है कि कार्यालय में प्रकरण दर्ज करें एवं विधिक वारिसों की सम्पूर्ण जांच कर, साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए 45 दिवस में विस्तृत निर्णय पारित कर तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ अदालत को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 23.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी0 आर0 मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

न्या० अति० जि० कलै० एवं अति० जि० मजि०
राजस्थान
सरकार
प्रशासन (द्वितीय) अलवर